न्यायालय तहसीलदार, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: मांगेराम पूनियां R.T.S.
मिसल नं. ::: 43/2017

सरकार बनाम धूपसिंह पुत्र रामजीलाल, ओमवीर पुत्र काशीराम, जाति–जाट, निवासी– बनगोठड़ी खुर्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक 19.04.2017

निर्णय

पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित धूपसिंह उपस्थित। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान धूपसिंह पुत्र रामजीलाल, ओमवीर पुत्र काशीराम, जाति–जाट, निवासी– बनगोठड़ी खुर्द द्वारा रोही मौजा बनगोठड़ी खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 333 कुल रकबा 0.06 है0 किस्म गै.मु. मरघट में से 50 वर्गमीटर भूमि पर छड़ी बाड़ बनाकर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया। गैर सायल धूपसिंह पुत्र रामजीलाल जाति जाट निवासी– बनगोठड़ी खुर्द ने हाजिर अदालत होकर जवाब नोटिस पेश किया जिसमें अपना अतिक्रमण होने से इन्कार किया है। इसी जवाब नोटिस पर दूसरे गैर सायल ओमवीर पुत्र काशीराम, जाति–जाट निवासी– बनगोठड़ी खुर्द ने भी अपने हस्ताक्षर किये है। लेकिन उक्त गैर सायल ओमवीर न्यायालय में उपस्थित नही हुआ। गैर सायलान द्वारा अतिक्रमण करने से इंकार किया गया है, जबकि पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत अतिक्रमण की रिपोर्ट की पुष्टि, जांच भू.अ.नि. बनगोठड़ी कलां से होती है। जिससे अतिक्रमण प्रमाणित होता है। अतः रिपोर्ट पटवारी हल्का को सही मानते हुए गैर सायलान को उपरोक्त विवादित भूमि का अतिचारी घोषित किया जाकर उनके विरूद्ध बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। आर्थिक दण्ड स्वरूप सरह लगान का 50 गुणा तावान 5 रू. कायम किया जाता है।

तहसील राजस्व लेखाकार के अभिलेख में तावान राशि की कायमी करवाई जावें। पटवारी/ गिरदावर हल्का को तावान वसूली एवं मौका बेदखली हेतु लिखा जावें । मिसल फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

रा० ले० स० 4 के पृष्ठ सं.......07...........पर
वर्ष 2017-18.....में रूपये 05/—— कायम किए
राजस्व लेखाकार

(मांगेराम पूनियां)
तहसीलदार, सूरजगढ़